सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 20, शुक्रवार, *शाके* 1948- अप्रेल 10, 2026 Chaitra 20, Friday, Saka 1948- April 10, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2026

(अतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदशिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सख्या 30) की धारा 11(1) एव राजस्थान नियम 16(1))

पत्रावली संख्याः प.1(24)**नविवि/भरतपुर/**2025 **:-**चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के **भरतपुर शहर में योजना स्कीम नं.-13 में 120 फिट सड़क निर्माण के लिए कुल 1.71038 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मूल्याकन अध्ययन (एसआईए) का कार्य मेसर्स आर वी इन्फ्रा कंसल्टेंट, जयपुर द्वारा किया गया था। एस.आई.ए. अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देशीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत की गई है।

2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारीयों को, जिनका इससे संबंध है, को ईलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का **भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)** की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति **भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)** के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

राजस्थान राज्य के भरतपुर शहर में योजना स्कीम नं.-13 में 120 फिट सड़क निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति हेतु धारा-11 एवं धारा-12 की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
1	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	496	निजी	623.00	0.06230	0.240	फूलचन्द पुत्र गंगाप्रसाद योगेशसिंह पुत्र के.पी. सिंह भागचन्द पुत्र गंगाप्रसाद नीरज तिवारी पुत्र छीतरमल नन्दन शर्मा पुत्र छीतरमल शर्मा सुखदेई पत्नी अतरसिंह पुष्पा शर्मा पत्नी छीतरमल चंचल तिवारी पत्नी हरिओम तिवारी नवीन शर्मा पुत्र छीतरमल शर्मा

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
									सतीश पुत्र नन्नूराम
2	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	589	सरकारी	2100.00	0.21000	0.210	नगर विकास न्यास, भरतपुर
3	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	447/1926	सरकारी	1900.00	0.19000	0.190	नगर विकास न्यास, भरतपुर
4	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	446	सरकारी	1000.00	0.10000	0.100	नगर विकास न्यास, भरतपुर
5	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	445	सरकारी	300.00	0.03000	0.030	नगर विकास न्यास, भरतपुर
6	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	563	निजी	147.30	0.01473	0.690	मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज, सा. अटलबंद दरवाजा
7	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	497	निजी	623.50	0.06235	0.260	हरनारायण पुत्र वल्लभ खैमचन्द पुत्र कलुआ करनसिंह

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
									पुत्र कलुआ मोहनलाल पुत्र कलुआ रामकिशन पुत्र कलुआ
8	भरतपुर	भरतपुर	चक नं. 01	501	सरकारी	1578.00	0.15780	0.390	नगर विकास न्यास, भरतपुर
						8271.80	**0.82718**	**2.110**	
1	भरतपुर	भरतपुर	श्रीनगर	116	सरकारी	5400.00	0.54000	0.540	नगर विकास न्यास, भरतपुर
2	भरतपुर	भरतपुर	श्रीनगर	295	सरकारी	3100.00	0.31000	0.310	नगर विकास न्यास, भरतपुर
3	भरतपुर	भरतपुर	श्रीनगर	527	निजी	332.00	0.03320	0.220	बुद्धि पुत्र परभाती अतरी पुत्री परभाती विमरा पुत्री परभाती रामदयाल पुत्र परभाती रामचरन

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
									पुत्र परभाती
						8832.00	0.88320	1.070	
परियोजना में प्रस्तावित कुल अवाप्त रकबा :						17103.80	1.71038	3.1800	

राज्यपाल की आज्ञा से.

रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।